बिरसा आंदोलन

भारतवर्ष में बिरसा आंदोलन मूलतः भूमि समस्या के कारण शुरू हुआ था। मुंडा जाति की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। वे सर्वप्रथम ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया हुए तत्पश्चात् वे सरदारी आंदोलन में भाग लिए।

इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे —

1) सरदारी आंदोलन का प्रभाव — सरदारी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव ने बिरसा आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया। सरदारी आंदोलन की जड़ में भूमि समस्या थी। बिरसा आंदोलन भी भूमि समस्या के असंतोष का परिणाम था। 1892 ई० में भूमि समस्या के समाधान के लिए सरदारी आंदोलनकारी विद्रोह विद्रोह पर उतर आए लेकिन उनके समक्ष कोई ठोस राजनीतिक रूपरेखा नहीं थी। 1895 ई० में बिरसा आंदोलन ने उन्हें एक रूपरेखा प्रदान की। बिरसा मुंडा आंदोलन द्वारा भूमि समस्या का समाधान चाहते थे।

राजनीतिक कारण —

बिरसा मुंडा विदेशी की अधीनता से मुक्त

होकर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। उनका विचार था कि बिरसा के नेतृत्व में आंदोलनकारी विदेशियों को मार भगाएंगे, कोई भी सरकार का हुक्म नहीं मानेगा और वे मुंडा राज कायम करेंगे।

बिरसा अपने लोगों को समझाते थे कि मुंडा बड़े बंधनों में फंसे हुए हैं। दिकू लोगों ने मुंडाओं को उधार कर्ज, कोयला-खान-जेल-सेल अदालत वगैरह इत्यादि चक्करों में फंसा लिया है अब हमें सब तरह से आजाद होना पड़ेगा। सारे विदेशियों को मार भगाएंगे, किसी को कोई लगान नहीं देंगे। सारे जंगल ले लेंगे। उन्होंने, अपने आप को 'धरती आबा' अर्थात पृथ्वी का पिता कहा।

आर्थिक कारण —

अंग्रेजों द्वारा संचालित लागू किए गए भूमि व्यवस्था के कारण पारंपरिक अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न होने लगी तथा ठेकेदारों व भागीदारों का प्रभाव बढ़ता गया। परिणामस्वरूप आदिवासियों का जीवन ढांचा विशृंखलित हो गया। 1896-97 एवं 1899-1900 ई० के दोनों भयानक अकालों से लोगों की स्थिति अत्यन्त खराब हो गई थी।

आदिवासियों से बेगार मजदूरी करवाकर उनका शोषण किया जा रहा था। अतः बिरसा मुंडा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन करके यहाँ के जनजातियों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर सुधार लाना चाहते थे।

धार्मिक कारण —

बिरसा मुंडा अपने समाज की संस्कृति एवं धर्म को बचाना चाहते थे। इस समय मुंडा संस्कृति पर असुर, हिन्दू एवं ईसाई धर्म का प्रभाव था। मुंडाओं के सर्वोच्च ईश्वर सिंगबोंगा थे। मुंडा संस्कृति पर वैष्णव धर्म के कबीर पंथ का भी प्रभाव पड़ा। झारखंड में ईसाई मिशनरियों के कार्यों से यहाँ के जनजातियों की मूल संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। ईसाई आदिवासी और गैर ईसाई आदिवासी की दरार उनके परहा व्यवस्था, पंचायत, अखड़ा एवं गीतिओड़ा जैसे सांस्कृतिक केन्द्रों को तोड़ रही थी। झारखंड के मुंडा क्षेत्र में सैकड़ों मुंडा ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे। अतः बिरसा मुंडा यहाँ के जनजातियों को धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ यह आंदोलन आरंभ किया।

सामाजिक कारण —

ब्रिटिशकालीन जागीरदार

व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, ईसाई मिशन के प्रचारक के क्रियाकलापों से मुंडा समाज प्रभावित हो रहा था।

मुंडाओं की सामाजिक संस्थाएं पड़हा और पंचायत का अंत हो रहा था। गांवों के पुराने प्रधानों का स्थान दिकुओं ने ले लिया था। सामाजिक विवादों के समाधान के लिए अंग्रेजी शासक अदालत का सहारा लेने लगे थे। पुरानी सामाजिक व्यवस्था का अंत होने से मुंडा जाति के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था। इसके अलावे मुंडा समाज में शराबखोरी बढ़े पैमाने पर जारी थी जिसे बिरसा मुंडा रोकना चाहते थे।

बिरसा मुंडा आंदोलन को तीन चरणों में बांटा गया है —

बिरसा आंदोलन के प्रथम चरण में 1895 ई० में बिरसा का आंदोलनकारी अभियान, उनकी विभिन्न घोषणाएं, उनकी प्रथम गिरफ्तारी एवं जेल से उनकी रिहाई आदि प्रमुख है।

1895 में बिरसा अभियान ने उन्हें एक नई रूपरेखा प्रदान की और एक नया जन आंदोलन आरंभ किया।

बिरसा आंदोलन के दूसरे चरण में बिरसा द्वारा पैतृक स्थलों की यात्रा एवं विभिन्न स्थानों में सभाओं के आयोजन आदि प्रमुख है।

बिरसा के अनुयायी और

और समर्थक दो दलों में बाँट दिए गए। एक दल बिरसा धर्म का प्रचार करने लगा और दूसरा दल विद्रोह की तैयारी में लग गया। जलमाई का सोमा मुंडा धार्मिक दल का और डोंका मुंडा राजनीतिक दल का प्रधान था। राजनीतिक दल वाले काम प्रायः रातों को गोपनीयता में की।

आंदोलन के दूसरे चरण में 1897 ई० में बिरसा के धार्मिक आंदोलन का स्वरूप प्रायः बदल गया। अपनी रिहाई के बाद पुराने धार्मिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना ही उनका मुख्य लक्ष्य हो गया।

बिरसा और उनके अनुयायियों को अपने धार्मिक संगठन के माध्यम से राजनीतिक आंदोलन की तैयारी में आसानी हुई।

मुंडाओं की एक विशाल सभा डोम्बारी में फरवरी 1898 ई० में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुई।

मार्च 1898 में सिकुआ पहाड़ी में दूसरी सभा हुई।

1899 ई० में अक्टूबर के अंत और नवम्बर महीने के आरंभ तक बिरसा की किसी गतिविधि का पता नहीं चला। अतः तीसरी सभा (Oct 1899 में) डोम्बारी पहाड़ पर अगली बैठक हुई।

इस प्रकार आंदोलन के दूसरे चरण में बिरसा अपने पैतृक स्थलों की यात्रा की और सभाओं के आयोजन द्वारा लोगों को आंदोलन के लिए जागरूक किया।

बिरसा आन्दोलन एवं बिरसा का उलगुलान :-

बिरसा आन्दोलन का यह तीसरा चरण था। राँची जिला का दक्षिण और सिंहभूम जिले का उत्तरी भाग मुण्डा समुदाय के 'उलगुलान' का क्षेत्र बना, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। 'उलगुलान' बिरसा के नेतृत्व वाले आन्दोलन का विशेष नाम है। हेराल्ड एस. टोपनो के शब्दों में, "बिरसा मुण्डा का 'उलगुलान' बाहरी लोगों के हाथ से अपनी भूमि वापस लेने की लड़ाई की एक कड़ी रहा है, जिसकी शुरुआत इन आदिवासियों के पूर्वजों ने की थी। यहाँ के आदिवासियों ने बाहरी शोषकों के खिलाफ अपने इन आन्दोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1831-32 ई० के कोल विद्रोह के बाद जमींदार, ठेकेदार आदि दिकुओं ने नये कानूनों द्वारा आदिवासियों को उनकी परम्परागत जमीन से बेदखल कर दिया था। कोल विद्रोह के बाद अगले चरण में शोषण के शिकार ये आदिवासी ही हुए। अतः सरदारी आन्दोलन शुरू हुआ। कोल विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अफसर विलकिंसन ने बिरसा के पूर्वजों से कई गाँवों को छीन कर उन्हें बेदखल करके उनका मानकी पद छीन लिया था। संभवतः बिरसा मुंडा के पहले अपनी लूटी हुई जमीन को वापस पाने के लिए सरदारों का

लड़ाई यहाँ काफी लम्बे समय तक चली। यह सरदार आन्दोलन करीब 40 वर्षों तक चला। बाद में इस आन्दोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा को सौंप दिया गया जिसे "उलगुलान" के नाम से जाना जाता है।

1897 ई० में बिरसा की रिहाई के बाद दो वर्षों के अन्दर बिरसा आन्दोलन का स्वरूप बदल गया। बिरसा ने लाल और उजला फूल को दिखाकर लोगों को संदेश दिया। इसी दिखाते हुए कहा - "यह उजला फूल अहिंसा है और यह लाल फूल हिंसा है। हिंसा और अहिंसा दोनों साथ-साथ हो तब ही दोनों का रंग निखरता है। जिस रास्ते पर हिंसा और अहिंसा साथ-साथ चले वही रास्ता... सिर्फ वही रास्ता हमें मंजिल तक पहुँचा सकता है।"

1897 ई० के बाद आन्दोलन का विषय धार्मिक से राजनीतिक हो गया और मुंडाओं का प्रमुख लक्ष्य हो गया कि बिरसा के अधीन एक मुंडा राज्य स्थापित किया जाए।

आंदोलन आरंभ करने के लिए 24 दिसम्बर 1899 को तय किया गया। सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर और राँची जिले के खुंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और

सालगा थानों के विद्रोह की आग सभी क्षेत्रों में आग भड़क उठी। इन्होंने थानों में आग लगाने और तीर चलाने का आगाज किया था।

आंदोलन का मुख्य केन्द्र खूंटी था। सबसे ज्यादा मार सिंहभूम के पोरहाट क्षेत्र में लगी की आग आंदोलन की घटनाएं अधिक हुईं। ये एक विशेष आवाज निकालते जिसे कुलकुली कहते हैं। कुलकुली मुंडाओं को एक प्रकार का कहलाना है। इन्होंने चौकीदारों पर तीर चलाना और अपनी गुलेल से पत्थर फेंकना शुरू किया।

उलगुलान दमन के लिए सरकार ने कार्यवाही शुरू की। आंदोलन का केन्द्र बंदगांव, रांची और सिंहभूम जिलों की सीमा पर था। अतः इसे सरकारी कार्यवाहियों का केन्द्र बनाया गया।

बिरसा की गिरफ्तारी के लिए पोड़ाहाट के जंगलों में खासकर 4 से 6 जनवरी 1900 ई० तक छापामारी की गई।

पादर हॉफमैन ने कमिश्नर के समक्ष विद्रोहियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखे —

(1) भागकर छिपे हुए मुंडाओं की सारी चल संपत्ति को तुरंत जब्त

किया जाए और कुर्क कर दिया जाए।

2) उनकी जमीनों पर अपना गाँव छोड़कर कहीं भी जाने पर कड़ी पाबंदी लगायी जाए।

3) विद्रोहियों तक किसी तरह से खाने पीने के समान पहुँचाने के सारे रास्ते बन्द कर दिए जाएं।

4) —

A — बिरसा आंदोलन के नेताओं और कुनबों को तब तक कैद कर लिया जाए जब तक हथियार बंद विद्रोह दल खत्म नहीं कर दिए जाते।

5 — सेना द्वारा हथियार बंद सबसे पहले पकड़ा जाए और दल के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी न की जाए।

6. बिरसा आन्दोलन के सभी नेताओं को एक निश्चित समय तक के लिए जेल में रखा जाए।

[illegible] हॉफमैन के सभी प्रस्तावों से कमिश्नर सहमत नहीं थे। उन्होंने आन्दोलनकारियों पर कार्रवाई के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव दिए :—

(1) सक्रिय आंदोलन दल के सदस्य को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाए।

औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई।

बिरसा और उसके अनुयायियों की गिरफ्तारी का अभियान 13 जनवरी 1900 से शुरू हो गया।

बिरसा आंदोलन को पूर्णतः खत्म करने के लिए कठोर दमन नीति अपनाई गई।

बिरसा आंदोलन के दो प्रमुख सहयोगी डोंका मुंडा और मझिया मुंडा ने 28 जनवरी 1900 ई० को 32 अन्य आंदोलनकारियों के साथ सामूहिक आत्मसमर्पण किया, क्योंकि उनकी सम्पत्ति जब्त कर दी गई थी।

अनेक मुंडा सरकार द्वारा घोषित पुरस्कार राशि के लोभ में पड़ गए और बिरसा के साथियों को गिरफ्तार कराने में मदद की।

03 मार्च 1900 को बिरसा पर अचानक धावा बोल दिया गया और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया गया।

बिरसा की गिरफ्तारी का समाचार मिलते ही बंदगाँव में भारी भीड़ जमा हो गई।

जेल में भयंकर कष्टों के कारण वे अस्वस्थ रहने लगे। 1 जून 1900 ई० को डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड को सूचना दी गई कि बिरसा को हैजा हो गया था। 9 जून 1900 को 9 बजे बिरसा भगवान आखिरी नींद में सो गए।